



आज बारिश कल मूसलाधार

भारत में महिला अधिकारों के पक्ष में बदलाव की हवा

रुरी स्यालेब्रावती

पिछले साल भारत में एक युवा मेडिकल छात्रा के साथ हुए घिनौने सामूहिक बलात्कार ने सिर्फ उसके देश के लोगों को ही धक्का नहीं पहुंचाया बल्कि पूरी दुनिया में बदनामी हासिल की। इस मामले ने सारे विश्व का ध्यान भारत की एक बड़ी सत्रूत समस्या की तरफ, इस तरह से खींचा है जैसा पहले कभी नहीं हुआ। वह है 'हिंसा और ग्रीष्मी का स्त्रीकरण'।

'ग्रीष्मी का स्त्रीकरण' शब्दावली को सत्तर के दशक के अंत में डायना पियर्स ने गढ़ा था जिसे अनुसार औरतों के हाथों में अर्थिक संसाधन नहीं के बराबर थे और मर्दों व उनकी मज़दूरी के बीच का अंतर बढ़ा चला जा रहा था। यूनिफैम का कहना है कि ग्रीष्मी रेखा के नीचे जीने वाले लगभग 70 प्रतिशत लोग औरतें हैं।

भारत के संदर्भ में ग्रीष्मी और यौन हिंसा ने औरतों के खिलाफ़ आपस में गठजोड़ कर लिया है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने औरतों की आर्थिक भागीदारी के नज़रिए से हमारे देश को 123वां स्थान दिया है। इसके अलावा पिछले एक साल में सिर्फ दिल्ली में ही बलात्कार के 700 मामले दर्ज किए गए।

दिल्ली 160 लाख की आबादी की तुलना में यह संख्या कम लग सकती है लेकिन यह याद रखना ज़रूरी है कि ये सिर्फ उन औरतों के आंकड़े हैं जिनमें इतनी हिम्मत थी कि अपने ऊपर हुए भयानक हमलों की रिपोर्ट कर सकें। हाल में वाशिंगटन पोस्ट ने बताया कि

यौन हिंसा की अधिकतर शिकार औरतें अनेक कारणों से अपराधियों के खिलाफ़ शिकायत दर्ज करने से डरती हैं। उनमें से एक कारण है भारतीय पुलिस अधिकारियों का असहयोग और असम्मान भरा बर्ताव।

वैसे यौन हिंसा के लिए कोई अलग से खांचा नहीं है, यह भारत में औरतों के खिलाफ़ होने वाली सभी हिंसाओं का एक छोटा सा हिस्सा है। अनुमान है कि करीब 20 लाख औरतें उनके साथ होने वाली हिंसा और भेदभाव के चलते जान गवां देती हैं। इनमें से 25,000 से 1,00,000 लाख तक औरतें हर साल दहेज संबंधी झगड़ों के कारण मारी जाती हैं। अनेक औरतें भयानक प्रतिशोध में ज़िन्दा जला दी जाती हैं। ये सभी आंकड़े बताते हैं कि पितृसत्तात्मक और स्त्रीदेवी समाज में औरतों के खिलाफ़ भेदभाव की भावना किस कदर गहराई तक घर कर चुकी है।

आर्थिक पलटवार

ग्रीष्मी और हिंसा का स्त्रीकरण लगातार जारी रहने से भारतीय अर्थव्यवस्था पर उसके बड़े घातक प्रभाव पड़ रहे हैं।

भारत की लगभग 127 करोड़ की आबादी में आधी से ज़्यादा औरतें हैं लेकिन उनमें से सिर्फ 25 प्रतिशत उत्पादन क्षेत्र में जुड़ी हैं। सरल भाषा में कहें तो भारत अपनी आधी से अधिक श्रमशक्ति को पूरी तरह से पूँजी से नहीं जोड़ पा रहा है। हमारा देश अपने क्षेत्रीय प्रतिद्वन्दी चीन से काफ़ी पीछे है



जिसने तुलानात्मक रूप से आश्चर्यजनक दर प्राप्त कर ली है। चीन ने 70 प्रतिशत महिला श्रम की भागीदारी सुनिश्चित कर ली है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकाशित एक पर्चे के अनुसार इसके चार प्रकार के आर्थिक परिणाम होते हैं—

- प्रत्यक्ष मूर्त लागत
 - अप्रत्यक्ष मूर्त लागत,
 - प्रत्यक्ष अमूर्त लागत
 - अप्रत्यक्ष अमूर्त लागत
- प्रत्यक्ष मूर्त लागत वह वित्तीय खर्च है जो सीधे तौर पर हिंसा और ग्रीवी से जुड़ा है। जैसे अस्पताल में इलाज। इसमें ऐसे खर्च भी शामिल हैं जैसे मनोवैज्ञानिक पुनर्वास खर्च, अपराधियों को सज़ा दिलाना चाहने वाले पीड़ितों को न्याय दिलाना।
- अप्रत्यक्ष मूर्त लागत है ‘संभावित वित्तीय मूल्य का नुकसान’। उदाहरण के लिए दिल्ली बलात्कार की घटना के बाद भारत पर सीधा आर्थिक असर हुआ। देश के कई शहरों में हुए एक सर्वेक्षण के अनुसार 82 प्रतिशत सर्वेक्षित महिलाएं अंधेरा पड़ने से पहले घर पहुंचने के लिए अपने-अपने दफ्तरों से जल्दी निकलने लगीं। इसका मतलब है कि काम के कुल घटनों में कमी आई जो अन्ततः कुल उत्पादन पर असर डालता है।
- प्रत्यक्ष अमूर्त लागत को गैर वित्तीय प्रभाव के रूप नाम सकते हैं जैसे पीड़ित द्वारा अनुभव किया गया मानसिक संताप और शारीरिक दर्द।
- अप्रत्यक्ष अमूर्त लागत वह गैर वित्तीय प्रभाव है जो चारों तरफ फैल कर अन्य बहुत से लोगों को प्रभावित करता है, प्रायः भावनात्मक रूप से।

बदलाव की हवा

दिल्ली के कुख्यात बलात्कार की एक अनाम पीड़िता को भारत भर के विरोध प्रदर्शनों में एक प्रेरणा का दर्जा दिया गया। विरोध प्रदर्शनों में हज़ारों ऐसी औरतें एकजुट हुईं जिन्हें शिकायतें हैं और उन्होंने इंसाफ की आवाज़ न सिर्फ उस लड़की के लिए उठाई बल्कि उसके परिवार के लिए और भारत की सभी औरतों के लिए उठाई। यह बात एक प्रदर्शनकारी की टिप्पणी में झलकती है।

वो लड़की हममें से कोई भी हो सकती थी

रोचक बात यह है कि उनका साथ भारत के अनेक फ़िक्रमंद मर्द भी दे रहे हैं, जो उन्हीं की तरह बदलाव लाना चाहते हैं।

अनेक लोगों ने इस आंदोलन को बदलाव की हवा के रूप में देखा है। इसने तेज़ी से फैलते भारतीय मध्यवर्ग को एकजुट किया है ताकि वे औरतों के अधिकारों पर अपनी आवाज़ उठा सकें। परिणाम स्वरूप आज दिल्ली पुलिस के लिए महिलाओं की सुरक्षा और एक सम्पूर्णात्मक न्याय व्यवस्था सबसे बड़ा सरोकार बन गई है। अन्ततः औरतों के अधिकारों ने अपने दो सबसे कीमती घटक पा लिए हैं। एक है, महत्वपूर्ण जन सहयोग और दूसरा है, कानून लागू करने व्यवस्था में सकारात्मक बदलाव की संभावना। आगे बढ़ें तो अगला महत्वपूर्ण कदम है औरतों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व। यह ख़ासतौर पर धरातल पर जी रही औरतों की आकांक्षाओं को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत में अनेक प्रसिद्ध महिला राजनेता हुई हैं जैसे इन्दिरा गांधी, सोनिया गांधी, मीरा कुमार जो भारतीय संसद की अध्यक्षा हैं परन्तु अधिकतर महिला राजनेता शायद ही कभी महिला अधिकारों की हिमायत करती हैं।

इसकी एक वजह यह हो सकती है कि इनमें से कई नेता उत्तराधिकार की राजनीति का नतीज़ा है और बड़े परिवारों से जुड़ी हैं। इसलिए यह बात भविष्य की राजनेताओं के लिए एक प्रेरक सीख हो सकती है कि वे धरातलीय औरतों के अधिकारों के आंदोलन से अधिक जुड़ें। साथ ही हमें भी संभल कर चलना चाहिए क्योंकि यहां बताए गए तीन घटक इस बात की गारंटी नहीं है कि परिणाम स्थाई रहेंगे।

जैसा कि पहले भी कहा गया है कि औरतों के ख़िलाफ़ हिंसा तो एक लक्षण है। मूल बीमारी की जड़ें बहुत गहरी हैं— वह है हर उस चीज़ के पक्ष में चुनाव जो मर्दों को फ़ायदा पहुंचाती हो। इस तरह के सोच का तोड़ है सार्वजनिक पुनर्निर्क्षण अभियान, जिनमें मुख्य बल समाज में औरतों की महत्वपूर्ण भूमिका पर होना चाहिए। इस तरह के अभियान चीन में बहुत सफल साबित हुए हैं। औरतों के ख़िलाफ़ भेदभाव समाप्त करने की उनकी सरकारी कोशिशों को भारत सरकार भी अपना सकती है। भारत में हवा का बहाव तेज़ है और शायद समानता की फसल काट पाने से पहले कड़ी मेहनत और संघर्ष का लम्बा दौर सामने है। लेकिन जैसे-जैसे और अधिक औरतें मध्यवर्ग से जुड़ रही हैं और यह आंदोलन ज़्यादा से ज़्यादा मर्दों तक पहुंच रहा है, क्षितिज पर बदलाव नज़र आने लगा है।

साभार: सेंटर फॉर ग्लोबल प्रॉस्पेरिटी जनवरी 28, 2013